राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट–www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः प.6(ख)/लेखा/डीएलबी/सीएजी/रा.वि/2025/21771 दिनांक 2/1/2025

आदेश

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.12 (3) वित्त/अंकेक्षण /2017 दिनांक 08.06.2020 में दिये गये निर्देशों की पालना में जनलेखा समिति की बकाया सिफारिशों, सीएजी प्रतिवेदनों एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों एवं अंकेक्षण संबंधित मामलों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित करने के लिये एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु स्वायत्त शासन विभाग स्तर पर श्रीमति सीमा कुमार, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिनके दूरभाष नं 0141–2226706 है।

नोडल अधिकारी के कार्य एवं दायित्व वे होगे जो समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये है तथा जिनका सारांश निम्नानुसार है:–

01. सीएजी प्रतिवेदनों में शामिल विभाग से सम्बंधित अनुच्छेदों की अनुपालना रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय को निर्धारित समयावधि में प्रेषित करवाना।
02. सीएजी अनुच्छेदों की अनुपालना रिपोर्टो पर महालेखाकार कार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी प्राप्त कर विभागीय पालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में जनलेखा समिति को प्रेषित करानां सुनिश्चित करना।
03. जन लेखा समिति की सिफारिशो पर विभागीय पालना/क्रियान्विती विषयक रिपोर्ट तैयार करवाना तथा उसकी महालेखाकार कार्यालय से संवीक्षा करवाकर जनलेखा समिति को निर्धारित समयावधि में प्रेषित होना सुनिश्चित करवाना।
04. जनलेखा समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों तथा जनलेखा समिति के समक्ष विभाग द्वारा दिये गये आश्वासनों की पालना करवाना तथा इसकी मोनेटिरिंग करना।

इसके अतिरिक्त श्री सांवरमल, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग को अतिरिक्त नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिनके दूरभाष नं 0141–2226729 है। नोडल अधिकारी/अतिरिक्त नोडल अधिकारी को विभाग की सभी शाखाओं के प्रभारी अधिकारी अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगें।

(रवि जैन)
शासन सचिव

क्रमांकः प.6(ख)/लेखा/डीएलबी/सीएजी/रा.वि/2025/21772 – 82 दिनांक 02/1/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

01. सचिव, जनलेखा समिति/स्थानीय निकायो और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति/राजकीय उपक्रम समिति, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
06. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण), शासन सचिवालय, जयपुर।
07. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
08. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
09. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन जनपथ, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट अपलोड़ करने हेतु।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग , राजस्थान जयपुर।

शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Ravi Jain
Designation: Secretary To Government
Date: 2026.01.01 13:18:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19619816